कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17, न्यूबेरी रोड,डालीबाग, लखनऊ।
2012.jtcclko@gmail.com

पत्रांक ग्ना/2071/ /विकास अनुभाग/ लखनऊ/ दिनांक 23/7/,2019

1. समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक/अध्यासी, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।

विषय–जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से किसानों की आय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया अवगत हों कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को वर्तमान भौगोलिक एवं जलवायिक परिस्थितियों में अत्यन्त ही उपयोगी बताया गया है जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं को गन्ने की खेती में अपनाये जाने पर गन्ने की उत्पादन लागत में अत्यधिक कमी लायी जा सकती है। साथ ही साथ गन्ने की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाते हुए कृषकों की आय में वृद्धि भी सुनिश्चित हो सकती है।

उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि गन्ने की खेती के संबंध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें–

- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) प्रणाली से खेती की लागत और जोखिम को कम कर के मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा जलवायु परिर्वतन की अनिश्चितताओं से बचाने में मदद मिलती है।
- वास्तव में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) पद्यति में सभी प्रकार के कृषि निवेशों की व्यवस्था स्थानीय स्रोतों एवं संसाधनों से की जाती है।
- इस पद्यति में मुख्य रूप से कृषकों के यहॉ उपलब्ध पशुओं के माध्यम से खेत की जुताई, गोबर की खाद एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं।
- रासायनियक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैविक उत्पाद यथा–जीवमित्र मिश्रण एवं बीजमित्र मिश्रण मुख्य है।
- इस पद्यति में मल्चिंग का विशेष महत्व है, जोकि गन्ने की खेती में पहले से ही प्रयुक्त होती आ रही है। मल्चिंग के द्वारा सिंचाई जल की बचत का विशेष प्रयास किया जाता है।
- सिंचाई की पद्यति इस प्रकार की होती है कि जल का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके।

- इस प्रकार इस पद्यति में फसलों की खेती करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि निवेशों के समस्त स्रोतों का प्रयोग किया जाए कि किसी भी प्रकार से कृषि निवेश के वाह्य स्रोंतों के उपयोग की आवश्यकता न रहे, जिससे की उत्पादन लागत न्यूनतम की जा सके।
- गन्ने में कार्बनिक खादों/हरी खादों/प्रेसमड निर्मित कार्बनिक खादों आदि के प्रयोग पर अधिकाधिक जोर दिया जाना अपेक्षित है।
- प्रेसमड से कार्बनिक खाद बनाने हेतु प्रेसमड को डिकम्पोजिंग कल्चर द्वारा विघटित कर जैंविक खाद बनाने हेतु सर्वप्रथम 1.0 मीटर गहरा, 1.5–2.0 मीटर चौडा तथा आवश्यकतानुसार 10 से 15 मीटर लम्बा गड्ढा बनाकर उसमें सूखी पत्तियॉ, ठूँठ, कूडा–करकट इत्यादि की 15 से0मी0 मोटी तह बिछाकर पानी का छिडकाव करके तह की नमी 60 प्रतिशत तक कर दी जाती है। 500 लीटर पानी में 100 कि0ग्रा0 गोबर तथा 10 कि0ग्रा0 जीवाणु कल्चर का घोल प्रतिटन कार्बनिक पदार्थ की दर से बनाकर परत दर परत छिडकना चाहिए। इस तह के ऊपर 15 से0मी0 प्रेसमड की तह बिछाकर 8.0 कि0ग्रा0 यूरिया तथा 10.0 कि0ग्रा0 सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति टन की दर से डाल दिया जाता है। यह प्रकिया गड्ढे भर जाने तक दोहराते रहते हैं। इस प्रकार गड्ढा भर जाने पर गोबर, मिट्टी तथा मैली का मिश्रण बनाकर गड्ढे को ढक देते हैं। गड्ढे की लम्बाई में एक तरफ से 1 से 2 फीट खाली स्थान छोड देते हैं जिससे वायु संरचरण होता रहता है। 15 दिन के अन्तराल पर दो से तीन बार गड्ढे में भरे हुए मिश्रण को पलट देना चाहिए। इस प्रकार लगभग 70.80 दिन में उपयुक्त कार्बनिक खाद बनाकर तैयार हो जाती है। उक्त खाद में विभिन्न प्रकार के जीवाणु कल्चरों जैसे–एजोटोबैक्टर, एजोस्पीरिलम, एसीटोबैक्टर, पी0एस0बी0 इत्यादि को निर्धारित मात्रा में मिलाकर उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त जैनिक/कार्बनिक खाद तैयार कर ली जाती है।
- गन्ने की खेती के साथ स्थानीय बाजार की मॉग के अनुरूप सहःफसली खेती किये जाने पर जोर। स्थानीय बाजार की मॉग के अनुरूप गन्ने के साथ विभिन्न प्रकार की सहफसली खेती द्वारा कृषकों की अतिरिक्त आय में वृद्धि सुनिश्चित होती है। गन्ने के साथ दलहनी फसलों के प्रयोग से रायजोबियम के द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने में सहायता मिलती है जिससे 12 से 15 प्रतिशत नाइट्रोजन की खपत में कमी आने से उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आती है। आलू को गन्ने के साथ सहफसली के रूप में उगाने पर आलू के वानस्पतिक अवशेषों को मृदा में सदुपयोग करने पर मृदा में

कार्बनिक जीवांश की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे मृदा की गुणवत्ता संरक्षित होती है।

- भूमि की दशा सुधारने हेतु 'जीवअमृत' का प्रयोग। जीवमित्र बनाने के लिए 200 लीटर पानी में 10 किलोग्राम गाय का गोबर एवं 5 से 10 लीटर गो–मूत्र 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 200 से 250 ग्राम खेत की मिट्टी मिलाकर एक बडे बर्तन में 48 घंटे के लिए रख दें जिससे कि विधिवत् किण्वन हो कर जीवमित्र तैयार हो जाए। इसी घोल का छिडकाव प्रत्येक सिंचाई के बाद किया जाए। इसका प्रयोग स्प्रे के साथ–साथ सिंचाई जल के साथ ही किया जा सकता है।
- गन्ना बीज उपचार हेतु चीनी मिलों में स्थापित एम.एच.ए.टी. प्लान्ट द्वारा बीज का शोधन कर लिया जाए।
- गन्ने की सूखी पत्तियों का पूरा–पूरा उपयोग ट्रैश मल्चिंग में। उत्तम पेडी प्रबन्धन के अन्तर्गत गन्ने की सूखी पत्तियों की मल्चिंग अत्यन्त उपयोगी एवं लाभदायक है। ट्रैश मल्चिंग के द्वारा मिट्टी के आर्गेनिक कार्बन में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि फलस्वरूप इस वृद्धि से गन्ना कृषकों की आय में 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि सम्भव। दो पंक्तियों के बीच में सूखी पत्तियों की मल्चिंग करने से खेत की नमी सुरक्षित रहती है, जिसके फलस्वरूप गन्ने की सिंचाई में बचत होती है। मल्चिंग करने से कीटों एवं खरपतवार का प्रकोप भी कम होता है तथा सूखी पत्तियों को न जलाने से पर्यावरण भी समृद्ध होता है। गन्ने की सूखी पत्तियॉ कालान्तर में खाद के रूप में बदल जाती हैं जिससे मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है तथा पोषक तत्वों के प्रयोग में कमी आती है और इस प्रकार गन्ने के उत्पादन लागत में भी कमी आती है।
- पानी बचत हेतु एकान्तर नाली विधि एवं ड्रिप इरीगेशन के प्रयोग पर अधिकाधिक बल दिया जाना। पेयर्ड रो प्लान्टिंग (दोहरी पंक्ति विधि से गन्ना बुवाई) के साथ गन्ने की एकान्तर नाली (एक नाली छोड कर) पद्धति से सिंचाई करने से 60 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है और उपज में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है।
- गन्ने की खेती से अधिक लाभ लेने हेतु एक से अधिक बार पेडी गन्ने की खेती (मल्टी रैटूनिंग) की जानी चाहिए। अच्छे पेडी प्रबन्धन हेतु मल्चिंग, स्टेबलसेविंग, यूरिया स्प्रे तथा सिंचाई के बाद निराई गुडाई पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है।
- लागत घटाने एवं आय बढाने हेतु ट्रैंच विधि से एवं पेयर्ड रो विधि से गन्ने की बुवाई की जानी चाहिए।

- मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एवं स्वस्थ्य निरोग गन्ना की उपज प्राप्त करने हेतु फसल चक्र को भी अपनाया जाना आवश्यक है।
- गन्ना कृषकों द्वारा अधिकाधिक यह प्रयास हो कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उन्नतिशील प्रजाति के बीज गन्ने को अपने ही खेतों में तैयार कर उसका उपयोग करें।

इस प्रकार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) प्रणाली से खेती की लागत और जोखिम को कम करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से बचाने में मदद मिलती है साथ ही साथ कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होती है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के अनुपालन के साथ साथ कृषकों के बीच गोष्ठी/वाल पेन्टिंग/दैनिक समाचार–पत्र/मीडिया/पम्पलेट के माध्यम प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुए कृषकों को उपरोक्त बिन्दुओं को अपनाने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।

(मनीष चौहान)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.

पृष्ठांकन संख्याः /तद्दिनांकितः

प्रतिलिपिः–निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ, उ.प्र., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, निगम/सहकारी चीनी मिल।
4. निदेशक, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।

(आर.पी.यादव)
अपर गन्ना आयुक्त (विकास)